



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

फोन नं.: 0141-2716814-805

क्रमांक:—एफ 8 (278) / सा.मा.प्रशा. / रा.प्र.नि.म. / 69

दिनांक: 30-04-2020

ई—निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी जयपुर को 10 सुरक्षाकर्मी एवं 1 सुपरवाईजर की सेवाएँ अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार ऑनलाइन e-proc.rajasthan.gov.in निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, निविदा का विवरण निम्नांकित है:—

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रु में)	बयाना राशि (रु में)	संविदा अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की अंतिम तिथि
1.	1 सुपरवाईजर एवं 10 सुरक्षाकर्मी	20.00 लाख	40,000.00	1 वर्ष	22.05.2020 को सायं 3:00 बजे तक	22.05.2020 को सायं 5.00 बजे

निविदा शर्ते एवं अन्य विवरण, विभागीय वेबसाईट <http://environment.rajasthan.gov.in/> तथा <http://sppp.rajasthan.gov.in/> उपापन पोर्टल पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि निविदा शुल्क, RISL की फीस मूल डी.डी. दिनांक 22.05.2020 को सायं 03.00 बजे तक मण्डल कार्यालय में जमा करवानी होगी। अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर एवं RISL शुल्क का बैंक ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, राजकोम इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना डी.डी. के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त का अधिकार सदस्य सचिव को होगा तथा सदस्य सचिव का निर्णय सभी के लिए मान्य होगा।

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

क्रमांक:—एफ 8 (31) / सफाई / सा.मा.प्रशा. / रा.प्र.नि.म. /

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.म., जयपुर।
- वरि.निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.म., जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.म., जयपुर।
- ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट पोर्टल पर अपलोड करें।
- नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.म., जयपुर।

SPPP एवं E-Proc

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 0141-2716814-805

ई-निविदा प्रपत्र

राज0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल मुख्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु संविदा निविदा फार्म (मूल्य रु. 500/-)

1. निविदादाता का नाम व पता:
(मय दूरभाष/मोबाइल तथा ई-मेल)
2. राजस्थान प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के अन्तर्गत प्राप्त लाईसेन्स संख्या—
3. निविदादाता का श्रम विभाग पंजीयन संख्या:
4. पैन संख्या:
5. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक
6. E. S. I. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक
7. G. S. T. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक
8. M. S. M.E. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक (यदि लागू हो) –
निविदा सूचना.....दिनांक.....
9. संदर्भ बैंक का नाम.....दिनांक.....
10. राजकोष इन्को सर्विस लि. RISL के नाम से 500/- डी.डी. नं.....बैंकदिनांक
11. निविदा शुल्क रु 500/-जमा कराने का विवरण—
डी.डी. पत्र/बैंकर चैक न.....
बैंक का नाम.....दिनांक.....
12. अमानत राशि रु. 40,000/-के डीडी/का विवरण
बैंकर्स चैक (सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के पक्ष में डीडी/बैंकर चैक सं0.....दिनांक.....
जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरण:-बैंक का नाम.....
13. निविदा के लिए प्रस्तावित दर संलग्नक 'अ' में भरी जावे।
14. हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। मैंने/हमने सभी शर्तों मान्य होने बाबत निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

S

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल परिसर एवं मय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य विवरण एवं ठेके की शर्तें

1. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, RISL एवं निविदा फीस तथा सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में सुरक्षाकर्मी एवं सुरपरवाईजर प्रदान करने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव तथा वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख कम से कम का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. राज्य मण्डल की सुरक्षा व्यवस्था बिना अवकाश के पूरे 24 घंटे की होगी, जो तीन पारियों में होगी। प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे 3 सुरक्षा प्रहरी, द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से 10.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी, रात्रि 10.00 से प्रातः 6.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी कुल 9 सुरक्षा प्रहरी तथा एक सुपरवाईजर प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक रहेगे। एक सुरक्षाकर्मी जनरल षिप्ट में रहेगा। इस प्रकार कुल 10 सुरक्षाप्रहरी व एक सुपरवाईजर रहेगा। 24 घंटे चलने वाली इस सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन व देख रेख के लिए सुरक्षा पर्यवेक्षक (दिन के लिए) जो कि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होगे। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है।
3. सुरक्षा कर्मी के किसी दिवस में अनुपस्थित रहने पर अनुपातिक रूप से कटौति की जाएगी।
4. यह अनुबंध (इकरारनामा) एक वर्ष की सेवा अवधि के लिए किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक होने पर आपसी सहमती से एक वर्ष नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।
5. सुरक्षा प्रहरियों द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता, अनुशासनहीनता तथा गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पर उन्हें तुरन्त लौटा दिया जावेगा। किसी भी प्रकार की चोरी, वित्तीय हानि की जिम्मेदारी अथवा देनदारी अनुबंधकर्ता सुरक्षा एजेन्सी की होगी। सभी कर्मियों के पते एवं विवरण संबंधित पुलिस थाने (गाँधी नगर, जयपुर) व राज्य मण्डल को दिये जाने आवश्यक है। इस संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के कानूनी वाद की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी एवं इस संबंध में राज्य मण्डल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. समस्त सुरक्षा प्रहरी ड्यूटी पर पूर्ण निर्धारित वर्दी में ही रहेगे। वर्दी, टोपी, सीटी, टार्च, बैज इत्यादि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता करेगा।
7. किसी भी सुरक्षा प्रहरी को नशे ही हालत में अथवा सोते हुए या अन्य किसी गफलत में पाया जाने पर एवं ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसे तत्काल लौटा दिया जायेगा एवं उसके पूर्ण हर्जे खर्जे की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
8. सविदा अवधि में होने वाली किसी चोरी या अन्य अवांछनीय तत्वों द्वारा तोड़फोड़ व अन्य हानि का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता/सुरक्षा एजेन्सी का होगा। मण्डल हानि संस्था से वसूल करेगी।

५

फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान, अवकाश इत्यादि, पीएफ एकट, लैबर कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन एण्ड एवोलेशन एकट, 1970) अन्य कानून जो कि समय—समय पर लागू हो, को कॉन्ट्रैक्ट लैबर पर लागू होंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

9. राज्य मण्डल द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दिये गये निर्देशों की पालना सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा प्रहरियों एवं अनुबंधकर्ता संस्था को करनी होगी।
10. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राष्ट्र से कटौती और संवेदक का अंषदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंषदान की राष्ट्र नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974, में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. सुरक्षा कर्मियों का यह भी दायित्व होगा की वे मण्डल से बाहर ले जा रही सामग्री/सम्पत्ति की जाँच करें तथा केयरटेकर/पर्यावरण अभियन्ता प्रशासन के समुचित आदेश के बिना परिसर से बाहर न जाने दें तथा अनुमति से बाहर ले जाई गई वस्तु का रिकार्ड अपने पास रखेंगे।
13. राज्य मण्डल कर्मिकों के वाहनों को यथा साईकिल/स्कूटर, कार, जीप आदि को निर्धारित स्थल पर खड़ा करवाना भी सुरक्षा कर्मियों का दायित्व होंगा। परिसर में से यदि कोई वाहन चोरी होता है तो उसकी दायित्व भी सुरक्षा कर्मियों का ही होगा। मालवाहक वाहनों के प्रवेश एवं निकासी सामग्री जो वाहन में उसकी सूची मय वाहन संख्या सुरक्षा एजेन्सी के पास होनी चाहिए जो कि संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी।
14. निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में 40,000/- रूपये जमा कराने होंगे। निविदा स्वीकार न होने पर यह राशि लौटा दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने पर यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी। अमानत राशि सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.म. के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करवाई जा सकती है।
15. केवल भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सैनिक ही सुरक्षा कार्य के लिए स्वीकार्य होगे अतः दरें उसके अनुसार ही प्रस्तुत की जायें। इस हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी।
16. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की सेवा अवधि 8 घंटे की होगी। सुरक्षाकर्मियों का भौतिक सत्यापन समय—समय पर अवधाता (केयरटेकर) से कराना होगा जो प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का कार्य स्थल पर जाकर जायजा लेगे तथा अन्य निर्दिष्ट अधिकारी समय—समय पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

15

17. राज्य मण्डल के कमरों एवं वाहन की समस्त चाबियों को मय छल्ले जिस पर अनुभाग का नाम हो, निर्धारित की बोर्ड में लगाना होगा ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल चाबी आसानी से मिल सके।
18. अनुबंधकर्ता एजेन्सी का सुपरवाइजर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बगीचे के रखरखाव, डिकिटिंग का निरिक्षण प्रतिदिवस करेगे यदि कोई भी कमी पायी जाती है तो केयर-टेकर को तत्काल अवगत करायेगे।
19. सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा कर्मी राज्य मण्डल की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कार्यालय कमरों/वाचनालय आदि सभी स्थानों पर उपस्थित रहेंगे, जिससे मण्डल की कोई भी सम्पत्ति का नुकसान या चोरी नहीं हों इस दौरान होने वाले नुकसान की जानकारी अधिकृत अधिकारी को तुरन्त प्रस्तुत करना पर्यवेक्षक/सुरक्षाकर्मी का दायित्व होगा।
20. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व संतोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंधकर्ता के हर्जे खर्च पर अन्य ऐजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय राज्य मण्डल को वहन करना पड़ा तो वह राशि अनुबंधकर्ता से वसूल योग्य होगी। यह राशि अनुबंधकर्ता के नियमित मासिक भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा मासिक भुगतान बकाया न होने की स्थिति में धरोहर राशि में से वसूल की जायेगी।
21. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में राज्य मण्डल यह अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त कर सकता है जबकि अनुबंधकर्ता संस्था को उसकी ओर से ठेका (अनुबंध) समाप्त करने की स्थिति में कम से कम दो माह का पूर्व नोटिस देना होगा ताकि राज्य मण्डल समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। धरोहर राशि अनुबंध की अवधि समाप्ति पर अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में वापस की जावेगी।
22. इस अनुबंध का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
23. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों से पैन/स्याही से भरी जावें। किसी भी प्रकार की काट-छाट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी काट-छाट/ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले वह निविदादाता को मान्य होगी।
24. निविदा लिफाफे में सील बन्द प्रस्तुत की जावे तथा लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता अंकित करें।
25. समुचित अमानत राशि तथा RISL की राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
26. एस.एम.एस. ई रजिस्टर्ड फर्म को नियमानुसार निविदा शुल्क तथा अमानत राशि में छूट देय होगा।
27. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने की स्थिति में जो दर कम होगी उसी पर विचार किया जावेगा।

- ६
28. निविदाएँ खोले जाने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य होगी
 29. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा, अनुबन्ध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद के सम्बन्ध में सदस्य सचिव का निर्णय अंतिम होगा।
 30. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्पादन/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/ E.S.I. करवाने/सामूहिम दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी/दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

करार की प्रतिभूति निष्क्रेप

31. सफल निविदादाता को अनुमोदन आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, अनुमानित वार्षिक लागत मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

निम्नलिखित परिस्थितियों में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी:-

- I. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- II. जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवाए संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।
- III. निविदादाता समय से पूर्व अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करता हो।

भुगतान

32. सफल निविदादाता भुगतान हेतु सदस्य सचिव के पक्ष में अपना विल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा तथा भुगतान विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी से सन्तोष जनक रिपोर्ट के आधार पर होगा।
33. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
34. प्रथम विल के उपरान्त अगले माह के साथ पी.एफ. जमा का प्रमाणक मय कर्मचारी की सूची के साथ संलग्न करेगा।

अन्य शर्तें

35. कार्यालय समय के अलावा व राजपत्रित अवकाश दिवसों को आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के आने एवं जाने की एक पंजिका संधारित करनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी कक्ष को

५

खोलने एवं बन्द करने की अनुमति प्रदान करने की स्थिति में ही अनुपालना कर संधारित पजिका में इन्द्राज करना होगा।

36. राज्य मण्डल में आने वाले आगतुकों का रजिस्टर संधारित करना होगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही आगतुकों को आगे यथास्थान भेजा जावेगा।
37. कोई भी सुरक्षाकर्मी अपने ड्यूटी स्थान को नहीं छोड़ेगा एवं ड्यूटी पर जाने से पूर्व ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करेंगे। ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी सचेत एवं सजग रहेंगे तथा अपने आस पास के क्षेत्र पर नजर रखेंगे।
38. किसी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर जाने अथवा निर्धारित समय से पूर्व ड्यूटी छोड़ने अथवा विलम्ब से आने पर ठेकेदार को उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर उसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।
39. निविदा स्वीकार होने एवं अनुबन्ध किए जाने के उपरान्त ठेकेदार ठेके को 'सब लेट' नहीं करेगा यदि वह ऐसा करता पाया गया तो नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण एवं सुरक्षा राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।
40. सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, तथा समय – समय पर दरों में संशोधन होने पर तदानुसार दरें प्रभावी होगी।
41. कार्य संतोषजनक नहीं होने व अनुबन्ध की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने पर राज्य मण्डल द्वारा द्वारा पेनलटी लगाई जा सकती है जो कि सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगी।
42. अपूर्ण निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
43. सुरक्षा एजेन्सी राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिए। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं होगा।
मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य हैं।

फर्म का नाम एवं पते सहित

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम व मोहर

Annexure - A

Tender Inviting Authority: Member Secretary, RSPCB, Jaipur

Name of Work: Hiring the services of Security Guards and Security Supervisor on the contract basis

Contract No: F&278/Cen. Adm./RPCB/

Dated: 04/05/2020

NUMBER # Sl. No.	TEXT # Item Description	TEXT # Item Code / Make	NUMBER # Number of Persons	TEXT # Units	NUMBER # Minimum Labour Rate Notified By Lebour Department Rs. P	TEXT # To be entered by the Bidder (per person per month) in Rs. P	NUMBER # EPF +Adm. Charges 12+1=13 %	NUMBER # ESI 3.25% Rs. P	NUMBER # Service Charge Per Person Per Month in Rs.	NUMBER # TOTAL AMOUNT Without Taxes Per Person Per Month	NUMBER # TOTAL AMOUNT Without GST	NUMBER # TOTAL AMOUNT In Words	TEXT #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Security Guard	item1	10	Nos	9100.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
2	Security Supervisor	item2	1	Nos	13300.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures										0.00	0.00	0.00	
Quoted Rate in Words										INR Zero Only			